उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या 187/2019/2724/92-2-2019-89जांच/2014

लखनऊ :: दिनांक:: 28 नवम्बर2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-प्रथम, बाराबंकी के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के फेज-10 के पैकेज सं0-यू0पी0-13125, यू0पी0-13126, यू0पी0-13131 के लिये अनुबंध गठन हेतु ठेकेदारो/फर्मो द्वारा उपलब्ध करायी गयी धरोहर धनराशि का सत्यापन कराने में विलम्ब किये जाने तथा अनुबंध गठन से पूर्व परफारमेन्स सिक्योरिटी के सत्यापन के संबंध में विद्यमान दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने एवं कालान्तर में सत्यापन किये जाने पर परफारमेन्स सिक्योरिटी के फर्जी पाये जाने आदि अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-9/ 5339/ 92-14-89जांच/2014 दिनांक 12-01-2015 द्वारा श्री अशोक, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू0-प्रथम, बाराबंकी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। कालान्तर में सम्यक विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17-06-2015 द्वारा श्री अशोक का निलम्बन समाप्त कर जांच कार्यवाही यथावत चलते रहने की शर्त के साथ सेवा में बहाल कर दिया गया। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, परि0-लखनऊ के पत्र दिनांक 01-09-2015 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, परि0-लखनऊ के पत्र दिनांक 01-09-2015 में अपचारी अधिकारी पर कतिपय आरोप स्थापित पाये जाने पर शासन के पत्र दि0 02-12-2015 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत उनका लिखित अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दि0 07-01-2016 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया। अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री अशोक को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू0-प्रथम, बाराबंकी के अंतर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत फेज-10 के पैकेज सं0-यूपी-13125, यूपी-13126 व यूपी-13131 में प्रयुक्त धनरोहर धनराशि से संबंधित बैंक प्रतिभूतियों को छः माह तक अपने पास रखने के कारण उक्त प्रतिभूतियों के सत्यापन में हुये विलम्ब हेतु उत्तरदायी पाये जाने पर श्री अशोक को शासन के कार्यालय ज्ञाप दि0 27-07-2016 द्वारा वर्ष 2016-17 के लिये परिनिन्दित किया गया।

3- श्री अशोक के निलम्बन अवधि दिनांक 12-01-2015 से 16-06-2015 को सेवा में व्यतीत अवधि माने जाने अथवा न माने जाने के संबंध में वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-2 खण्ड-2(4) के नियम-54(ख) के अंतर्गत शासन के पत्र दि0 30-08-2019 द्वारा श्री अशोक को इस आशय का नोटिस निर्गत किया गया कि उनके द्वारा निलम्बन अवधि में अपनी सम्बद्धता स्थल पर योगदान दिया गया तथा उनके द्वारा कोई व्यवसाय वृत्ति आदि नही की गयी। श्री अशोक के पत्र दि0 09-08-2019 द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत किया गया, जिस पर विचार करते हुये श्री अशोक को उनके विरूद्ध प्रचलित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुशासनिक कार्यवाही में वृहददीर्घ दण्ड न दिये जाने के दृष्टिगत उनके निलम्बन को औचित्यहीन पाते हुये निलम्बन अवधि दिनांक 12-01-2015 से 16-06-2015 को कर्तव्यार्थ सेवा अवधि मानते हुये उक्त अवधि में दिये गये जीवन निर्वाह भत्तो के अतिरिक्त अवशेष वेतन भत्तो का भुगतान किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-187/2019/2724(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- श्री अशोक, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू0-प्रथम बाराबंकी सम्प्रति अधिशासी अभियंता ग्रा0अ0वि0 प्रखण्ड-इटावा द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।